न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ (जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :– महावीरसिंह जोधा आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 02/2019

प्रार्थी :–

1. ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा, पंचायत समिति देचू जरिये सरपंच श्रीमती संतोष पत्नी श्री प्रयाग दान, उम्र 42 वर्ष जाति चारण, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील देचू जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देचू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

उपस्थित :– दिनांकः– 19.03.2019

1. प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया वर्तमान में ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा की निर्वाचित सरपंच है तथा ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के राजस्व रेकर्ड में संशोधन हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।राज्य सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन संख्या एफ15(1)पुनर्गठन/ विधि/परावि/2014/1506 दिनांक 05.11.2014 को जारी कर ग्राम पंचायत चांदसमा से राजस्व गांवो को अलग करते हुये नई ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा का गठन किया गया तथा ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा में राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा, जवाहरपुरा, सावलो की ढाणी, रावतगढ़, लालपुरा व जालपुरी को सम्मिलित किया गया तथा ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा का मुख्यालय, गोविन्दपुरा रखा गया। श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 3736 दिनांक 25.07.2014 द्वारा नव सृजिता ग्राम पंचायतो के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात प्राप्त आपत्तियो के निराकरण हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर को अधिकृत किया गया था, जिन्होने उक्त ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के सबंध में नव प्रस्तावित राजस्व गांव की आपत्तियो का निराकरण किया गया। उक्त आदेश की प्रति संलग्न है। ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के नवगठन के पश्चात उसके अधिनस्थ सभी राजस्व ग्राम की कृषि भुमि, राजकीय भुमि, गौचार भुमि एवं आगौर भुमि स्वतः ही ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा की अधिनस्थ भूमियां हो गई है तथा उक्त समस्त राजस्व ग्रामों की समस्त सरकारी भूमि एवं अन्य भूमियां ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के अधिकार क्षेत्र में उक्त गजट नोटिफिकेशन दिनांक 05.11.2014 के प्रभाव से निहित हो चुकी है। उक्त नव सृजित ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा दिनांक 05.11.2014 के गजट नोटिफिकेशन के जरिये बन चुकी है तथा उक्त ग्राम पंचायत के अधिनस्थ राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा, जवाहरपुरा, सावलो की ढाणी, रावतगढ़, लालपुरा व जालपुरी की समस्त राजस्व भूमियां गोचर, आगोर, सरकारी व अन्य

Scanned by CamScanner

समस्त भूमिया ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के अधिकार क्षेत्र मे निहित है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे सहवन् से उक्त भूमिया आज भी ग्राम पंचायत चांदसमा की अधिनस्थ भूमिया के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे गलत रूप मे दर्शाई हुई है, जिस बाबत संशोधन किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं न्याय संगत है क्योंकि उक्त भूमिया नव सृजित ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के गठन से ही उसमे निहित हो चुकी है तथा उक्त नव सृजित ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के अधिनस्थ राजस्व ग्राम का नक्शा भी स्वीकृत किया जा चुका है जिसके अनुरूप ही ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा मे कार्य कर रही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के अधिनस्थ राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा, जवाहरपुरा, सांवलों की ढाणी, रावतगढ़, लालपुरा व जालपुरी की समस्त भूमियों को राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा की अधिनस्थ भूमियां के रूप में दर्ज किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा, जवाहरपुरा, सांवलो की ढाणी, रावतगढ़, लालपुरा व जालपुरी की भूमियों को ग्राम पंचायत चांदसमा की अधिनस्थ भूमियों से हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड में संशोधित किया जावे। अन्य आदेश जो कानून व न्याय संगत हो, प्रार्थी के पक्ष में अता फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसमें बताया कि प्रार्थीया ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा पंचायत समिति देचू की वर्तमान निर्वाचित सरपंच है। राज्य सरकार द्वारा नवगठित ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा का गठन पुरानी ग्राम पंचायत चांदसमा से किया गया है। नवगठित ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के कार्य क्षेत्र में राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा, जवाहरपुरा, सांवलों की ढाणी, रावतगढ, लालपुरा व जालपुरी का भू-भाग सम्मिलित किया गया है। ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा का सृजन होने पर ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के अधिनस्थ आने वाली समस्त भूमियां यथा ओरण, गोचर, आगोर आदि की भूमिया नवसृजित ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के नाम दर्ज होनी थी, लेकिन सहवन से ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के स्थान पर पूर्ववर्ति ग्राम पंचायत चांदसमा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया हुआ है। जिसका खाता दुरूस्त कर ग्राम पंचायत क्षेत्रानुसार दर्ज करवाकर रिकार्ड दुरूस्ती की जानी उचित है।

प्रकरण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों एवं राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। न्यायहित में अप्रार्थी राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा, जवाहरपुरा, सांवलों की ढाणी, रावतगढ, लालपुरा व जालपुरी की भूमियों को ग्राम पंचायत चांदसमा की अधिनस्थ भूमियों से हटाया जाकर ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो फैसला सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीरसिंह जोधा)
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ
जिला जोधपुर

Scanned by CamScanner